रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1278] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2008/भाद्र 21, 1930

No. 1278] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2008/BHADRA 21, 1930

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2008

का.आ. 2188(अ)—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अनुसूची में, पैरा 34 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"35 (1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची 2 के पैरा 1, 3, 9 और 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाढ़, चक्रवात, सुनामी और भूकंप की प्रकृति के राष्ट्रीय विपत्तियों के परिणामस्वरूप ग्रामीण आबादी के व्यापक विस्थापन की दशा में इस प्रकार प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण गृहस्थियों के वयस्क सदस्य—

(i) रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुरोध कर सकेंगे और अस्थायी पुनर्स्थापन क्षेत्र की ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी कार्य कार्ड प्राप्त कर सकेंगे;

(ii) अस्थायी पुनर्स्थापन क्षेत्र के कार्यक्रम अधिकारी या ग्राम पंचायत के समक्ष कार्य के लिए लिखित या मौखिक आवेदन कर सकेंगे; और

(iii) हानि या विनाश की दशा में कार्य कार्ड के पुन:रजिस्ट्रीकरण और पुन:जारी किए जाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(2) सामान्य स्थिति के प्रत्यावर्तन की दशा में, इस प्रकार जारी कार्य कार्ड निवास के मूल स्थान पर पुन:पृष्ठांकित किया जाएगा और सुधार होने पर मूल कार्य कार्ड के साथ जोड़ दिया जाएगा।

(3) इस प्रकार उपलब्ध कराए गए नियोजन के दिनों की संख्या की गणना, प्रति गृहस्थी 100 दिनों की गारंटीकृत नियोजन की संगणना करते समय की जाएगी।"

[फा. सं. जे-11013/2/2008-एनआरईजीए]

अमीता शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची 2 को निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किया गया है—

1. का.आ. 324(अ), तारीख 6 मार्च, 2007
2. का.आ. 802(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2008

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2008

S.O. 2188(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendments in Schedule II to the said Act, namely :—

2. In the said Schedule, after paragraph 34, the following paragraph shall be added, namely :—

"35 (1) Notwithstanding anything contained in paragraphs 1, 3, 9 and 14 of Schedule II of National Rural

Employment Guarantee Act, 2005, in the event of national calamities in the nature of flood, cyclone, tsunami and earthquake resulting into mass dislocation of rural population the adult members of rural households of the areas so affected may—

(i) seek for registration and get job card issued by Gram Panchayat or Programme Officer of the area of temporary relocation;

(ii) submit written or oral applications for work to the Programme Officer or the Gram Panchayat of the area of temporary relocation; and

(iii) apply for re-registration and re-issuance of job card in the event of loss or destruction.

(2) In the event of restoration of normalcy, the job card so issued shall be re-endorsed at original place of habitation and shall be clubbed with the original job card on being retrieved.

(3) The number of days of employment so provided shall be counted while computing 100 days of guaranteed employment per household."

[F. No. J-11013/2/2008-NREGA]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

NOTE: Schedule II to the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) has been amended *vide* following notification numbers :—

1. S.O. 324(E), dated 6th March, 2007.
2. S.O. 802(E), dated 2nd April 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.